विवादों के समाधान का मूल आधार संवाद, विश्वास व मध्यस्थता है- जस्टिस सूर्यकांत

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि मध्यस्थता दोनों पक्षों को सम्मानजनक समाधान देती है

जयपुर, 31 जुलाई। राजधानी जयपुर के टोंक रोड स्थित होटल ललित में शुक्रवार से कॉमनवेल्थ पीस, मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ। तीन दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमनवेल्थ के 52 देशों के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, जाम्बिया सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश आभा नायर पटेल सहित, देश-विदेश के अनेक न्यायविद् उपस्थित थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति सूर्यकांत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को जयपुर के होटल ललित में कॉमनवेल्थ पीस, मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया।

- **तीन दिवसीय सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ''जयपुर पीस मीडिएशन डिक्लरेशन'' होगा, जिस पर कॉमनवैल्थ देशों व न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ हस्ताक्षर करेंगे। यह घोषणा पत्र आने वाले वर्षों में शांति, मध्यस्थता और विधि व शासन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा।**

उद्घाटन संबोधन में सीजेआई न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मध्यस्थता का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी एक आवाज दूसरी आवाज को दबा न सके। उन्होंने कहा कि भारत में प्राचीन समय से गांवों की पंचायतें आपसी संवाद और समझौते के माध्यम से विवादों का समाधान करती रही हैं और आज भी मध्यस्थता का वही मूल भाव प्रासंगिक है।

सीजेआई ने कहा कि चाहे दो पड़ोसियों के बीच किसी छोटे विवाद का मामला हो या दो देशों के बीच युद्धविराम का प्रश्न, विवादों के समाधान का मूल आधार संवाद, विश्वास और मध्यस्थता ही है। उन्होंने कहा कि यह कानूनी पेशे के सबसे कठिन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है, जिसे प्रशिक्षण और अनुभव से विकसित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सम्मेलन को न्याय व्यवस्था में नई सोच, नई दिशा और नए वैश्विक दृष्टिकोण की शुरुआत बताते हुए कहा कि न्यायालयों में एक पक्ष जीतता और दूसरा हारता है, जबकि मध्यस्थता दोनों पक्षों को सम्मानजनक समाधान देती है और वर्षों से चली आ रही कटुता एवं अविश्वास को समाप्त करती है।

राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने कहा कि आधुनिक न्याय व्यवस्था केवल निर्णय देने वाली नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने वाली होनी चाहिए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारतीय संस्कृति संघर्ष से पहले संवाद और समझौते को महत्व देती है। तीन दिवसीय इस सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ''जयपुर पीस मीडिएशन डिक्लेरेशन'' होगा, जिस पर कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, वरिष्ठ अधिवक्ता और विधि विशेषज्ञ हस्ताक्षर करेंगे। यह घोषणा-पत्र आने वाले वर्षों में कॉमनवेल्थ देशों में शांति, मध्यस्थता और विधि के शासन के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। सम्मेलन में जाम्बिया, श्रीलंका, बहामास, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मालदीव, जिम्बाब्वे, हांगकांग सहित, अनेक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

मुख्यमंत्री आज उदयपुर में

जयपुर, 31 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1 एवं 2 अगस्त को उदयपुर तथा राजसमंद जिलों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पर्यावरण संरक्षण, युवा जागरूकता, ग्रामीण विकास तथा विभिन्न विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं आमजन से संवाद कर विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे।

मुख्यमंत्री 1 अगस्त को उदयपुर के दूध तलाई (पिछोला) में आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह में

- **वे राज्यस्तरीय वन महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।**

भाग लेंगे। इस अवसर पर वे चंदनवन में पौधारोपण करेंगे और झाड़ोल क्षेत्र के बीड़ा गांव में ग्राम विकास चौपाल में भाग लेंगे। दौरे के दूसरे दिन 2 अगस्त को मुख्यमंत्री उदयपुर के राजस्थान कृषि महाविद्यालय, जाएंगे, जहाँ वे नारी शक्ति रैली को फ्लैग ऑफ करेंगे तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 'नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान' के कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से शामिल होंगे।

पंचायत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जानकारी के अनुसार, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पूर्व में 22 मई के आदेश से राज्य सरकार व चुनाव आयोग को चुनाव प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस दौरान ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में पंचायत व निकाय चुनाव का समय बढ़ाने का प्रार्थना पत्र दायर किया। खंडपीठ ने 20 जुलाई के आदेश से चुनाव का समय बढ़ाते हुए राज्य सरकार को पंचायत व निकाय चुनाव 15 नवंबर तक करवाने का निर्देश दिया।

ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर डायरैक्ट अटैक से हिचकिचा रहे हैं

पर ईरान समर्थित चरमपंथी गुटों की गतिविधियों के कारण मिडिल ईस्ट में कभी भी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 जुलाई। कई रातों तक एक-दूसरे पर लगातार भारी हमले करने के बाद, अब ईरान और अमेरिका ने सीधे तौर पर एक-दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया है। हालांकि, इससे होने वाले नुकसान और खतरे बढ़ रहे है।

इस क्षेत्र के दूसरे देशों पर हो रहे ये हमले, जो मुख्य रूप से ईरान के प्रॉक्सी और ईरान समर्थित मिलिशिया कर रहे हैं, पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा रहे हैं। इन ईरान समर्थित समूहों के हमलों के खिलाफ गुस्सा चरम पर है और स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि इनके बीच सीधा टकराव हो सकता है

रिपोर्टों के अनुसार, मिस्र के एक बंदरगाह पर दो जहाज़ों पर ड्रोन से हमला किया गया, जिससे भीषण आग लग गई और दोनों जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि मिस्र के बंदरगाह पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यह इज़रायल के ''फॉल्स फ्लेग ऑपरेशन'' (धोखे से किए गए हमले) हो सकते हैं।

दूसरी ओर, ईरान ने दावा किया कि उसने कुवैत में स्थित अमेरिका के एक बड़े एयरबेस पर हमला किया है, जहां अमेरिकी वायुसेना के महत्वपूर्ण संसाधन मौजूद थे। हालांकि कुवैत ने इस हमले या नुकसान की पुष्टि नहीं की है और न ही अमेरिका ने इसकी पुष्टि की है। साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि असल लड़ाई के अलावा, एक तरह का गलत जानकारी फैलाने का अभियान भी चल रहा है।

तथापि, ईरान ने पहले ही देशों की चेतावनी दे दी थी कि अगर किसी देश की जमीन या उसकी सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने अभियान में किया, तो वह कार्रवाई कर सकता है। इससे पहले सायप्रस द्वीप पर स्थित एक ब्रिटिश सैन्य अड्डे पर हमला किया गया था, जिसमें एयरबेस की कुछ सुविधाओं को नुकसान पहुंचा था।

- **ईरान के प्रॉक्सी और ईरान समर्थित मिलिशिया दूसरे देशों पर लगातार हमला कर बड़े युद्ध का खतरा बढ़ा रहे है, इसलिए क्षेत्र में इन गुटों के हमलों के प्रति नाराज़गी लगातार बढ़ रही है।**
- **सऊदी अरब पर यमन के हूती लड़ाकों (ईरान समर्थित) ने हमले किए हैं। ज्ञातव्य है कि कई दशकों से हूती लड़ाके सऊदी अरब के खिलाफ लड़ रहे हैं। हूती शिया गुट है और सऊदी अरब सुन्नी देश है।**
- **इसके जवाब में सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर हूती व दूसरे शिया लड़ाकों पर हमले किए, यह एक तरह से सऊदी अरब की सीधी सैन्य कार्यवाही थी, हालांकि, अब खबरें मिल रही हैं कि सऊदी अरब तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। पर, यह इतना आसान नहीं है।**

एक तरह से ईरान ऐसे कदम उठा रहा है, जिनसे इस संघर्ष में मध्य पूर्व के और भी कई देश शामिल हो सकते हैं। ईरान का उद्देश्य इन देशों को डराना और दबाव में लाना है, ताकि वे अपने यहां अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और उसकी सुविधाओं को अनुमति न दें।

सऊदी अरब ने ईरान और अमेरिका के बीच चल रही लड़ाई में सीधे शामिल होने से अब तक बहुत सावधानी बरती है। लेकिन यह भी सच है कि सऊदी अरब अपनी जमीन पर अमेरिका के कई बड़े अहम एयरबेस और सैन्य ठिकानों को अनुमति देता है।

सऊदी अरब को सजा देने के लिए ईरान समर्थित समूहों, खासकर यमन के हूती विद्रोहियों, ने जो कई दशकों से सऊदी अरब के खिलाफ लड़ रहे हैं, सऊदी सेना के ठिकानों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। हूती हमलों में सऊदी अरब की कई तेल उत्पादन सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है।

इसके जवाब में सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थित संगठनों, जैसे हूती और शिया लड़ाकों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। यह ईरान के सीधे नियंत्रण और समर्थन वाले प्रॉक्सी समूहों के खिलाफ अमेरिका के साथ सऊदी अरब की सीधी सैन्य कार्रवाई थी। हालांकि बाद की रिपोर्टों से पता चलता है कि सऊदी अरब अब तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा करना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं।

राष्ट्रपति ट्रंप अब बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। यह युद्ध उनकी शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा फैल चुका है। दूसरी ओर, यदि वे अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल किए बिना अचानक पीछे हटते हैं, तो उनकी स्थिति पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की उपलब्धियों के मुकाबले बहुत खराब दिखेगी।

जयपुर ग्रामीण में भाजपा प्रत्याशी की मात्र 1615 वोटों से विवादित जीत का मामला फिर गरमाया, चुनाव आयोग कटघरे में

हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारियों को मामले में आवश्यक पक्षकार बने रहने का फैसला दिया

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 31 जुलाई। जयपुर ग्रामीण के वर्ष 2024 में हुये संसदीय चुनाव का मामला फिर गरमा गया है। जैसा कि विदित है कि इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी राव राजेन्द्र सिंह की कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के विरुद्ध बड़ी विवादित और बहुत ही कम अंतर से जीत हुई थी। इस विवाद को लेकर हाईकोर्ट में दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी ने चुनाव आयोग और उसके अफसरों के आवेदन को खारिज करते हुए आदेश दिया है और कहा है कि वह इस मामले में आवश्यक पक्षकार बने रहेंगे।

- **अदालत ने कहा कि एक ओर तो चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की ''री-काउंटिंग'' क़ी गुहार को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि खारिज किये गये डाकमत 1225 ही हैं जो जीत के अंतर रद्द करने के लिये पर्याप्त नहीं, फिर इन्हीं अफसरों ने सूचना के अधिकार में दी जानकारी में खारिज किये गये डाकमतों की संख्या 2738 बताई।**
- **अदालत ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट, जो निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उप निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग के राजस्थान क्षेत्र के सचिव ही इस विवाद का स्पष्टीकरण दे सकते हैं, इसीलिये आवश्यक पक्षकार बने रहे।**
- **याचिकाकर्ता अनिल चोपड़ा के वकील संजय शर्मा ने कहा कि 2024 में हुए चुनावों में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि डाक मतों की गणना पहले की जायेगी और उसके बाद ही ईवीएम मशीन से दिये गये मतों की, परंतु, जयपुर ग्रामीण के चुनाव में डाक मतों की गणना बाद में की गई। इस सबसे मतगणना पर कई सवाल पैदा हो जाते हैं।**

अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग के अफसरों ने ही याचिकाकर्ता अनिल चोपड़ा की ''रिकाउंटिंग'' क़ी गुहार को रद्द करते हुए कहा था कि मतगणना में मात्र 1225 डाकमत ही निरस्त किये गये हैं और यह संख्या भाजपा प्रत्याशी को मिले वोट के अंतर, 1615, से कम है, ऐसे में किसी भी सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव का परिणाम नहीं बदल पायेंगे। बाद में इन्हीं चुनाव अधिकारियों ने ही अनिल चोपड़ा की सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में निरस्त किये गये डाकमतों की संख्या 2738 बताई। इन तथ्यों के मद्देनजर रखते हुए अदालत ने जयपुर ग्रामीण चुनाव क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट- कम- निर्वाचन अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग के राजस्थान क्षेत्र के सचिव के खिलाफ आदेश दिये और कहा कि वे इस मामले में आवश्यक पक्षकार बने रहेंगे।

यह मामला शुरू से ही इसलिये विवादित रहा, क्योंकि अनिल चोपड़ा मतगणना के दिन दोपहर 1.30 बजे तक भाजपा प्रत्याशी राव राजेन्द्र सिंह से मतों में काफी आगे चल रहे थे। अनिल चोपड़ा के ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि 19 राउंड की मतगणना के बाद अनिल चोपड़ा लगभग 7500 वोटों से आगे चल रहे थे, परंतु फिर वोटिंग की गणना सही नहीं की गई और चुनाव अधिकारियों द्वारा मतों की गणना के आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया गया। संजय शर्मा ने बताया कि अनिल चोपड़ा की टीम का कहना है कि उन्हें यह भी स्पष्ट रुप से नहीं दिखाया गया कि कितने और किन मतों को किस-किस वजह से निरस्त किया गया।

संजय शर्मा ने इस बात की भी पुष्टि की कि 2024 में हुए चुनावों में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया था कि डाक मतों की गणना पहले की जायेगी और उसके बाद ही इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन से दिये गये मतों की गणना की जायेगी, परंतु जयपुर ग्रामीण के चुनाव में स्पष्ट है कि डाक मतों की गणना नीति के विरुद्ध जाते हुए, ईवीएम से मिले वोटों के बाद में की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह डाकमतों की गणना की गई है और जिस तरह से वोटों को निरस्त किया गया है, वह चुनाव मतगणना की प्रक्रिया पर कई सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो चुनाव आयोग के अधिकारियों को स्वयं ही देना होगा, इसीलिये अदालत ने उन्हें आवश्यक पक्षकार बनाये रखने का आदेश दिया है।

गंगनहर में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और चारों गंगनहर में लापता हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि गंगनहर में सिल्ट सफाई के कारण जलस्तर कम होने से श्रद्धालु बीच धारा तक चले गए थे। इसी दौरान गहरे गड्ढे में फंसने से यह हादसा हुआ। सूचना मिलते ही, स्थानीय पुलिस और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंचे। काफी देर तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद चारों के शव गंगनहर से बरामद कर लिए गए। एसपी सिटी अभय सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है।

विपक्षी दलों के हंगामे में लोकसभा सोमवार तक स्थगित

नई दिल्ली, 31 जुलाई। लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

छात्रों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार केन्द्र सरकार पर हमलावर है। लोकसभा और राज्यसभा में शुक्रवार को भी सत्तापक्ष-विपक्ष में टकराव की स्थिति बनी रही। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा के बाद लोकसभा की कार्यवाही भी 3 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

- **विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही तथा राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर शोर मचाया।**

'पीओके में अत्याचार के लिए पाकिस्तान जिम्मेवार'

नई दिल्ली, 31 जुलाई। भारत ने विश्व समुदाय से पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में पाक की गतिविधियों की जांच करने और वहां किए जा रहे अत्याचारों के लिए उसे जवाबदेह ठहराए जाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मीडिया जगत को भी पता है कि कैसे पाकिस्तानी प्रशासन पोओजेक में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ बेरहमी से बल प्रयोग कर रहा है। इस कार्रवाई में 40 से ज़्यादा नागरिकों की दुखद मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में जुलाई 2026 के अंत में होने वाले विवादित क्षेत्रीय चुनावों के खिलाफ आर्थिक शिकायतों और राजनीतिक मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की है जिसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए।

अभिजीत दीपके ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पहले ही सीजेपी का कहना था कि यह संशोधन पेपर लीक रोकने के बजाय, लीक होने के बाद सजा देने पर ज्यादा ध्यान देता है। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने एक वीडियो संदेश में कहा था, ''आप पेपर लीक होने के बाद की हर बात कर रहे हैं- चाहे फास्ट-ट्रैक अदालतें हों, कड़ी सजा हो या जुर्माना। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि पेपर लीक होने से पहले उसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है।'' उन्होंने केन्द्र सरकार से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) में सुधार और परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने की मांग की थी। प्रधानमंत्री मोदी पर दीपके का यह ताजा तंज पहला हमला नहीं है। घर लौटने के बाद उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को राजनीति छोड़कर पूर्णकालिक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए, क्योंकि उनके देर रात आने वाले सैल्फी वीडियो काफी चर्चा बटोर रहे हैं। दीपके ने कहा था, ''मुझे लगता है कि वे एक इन्फ्लुएंसर के रूप में बहुत अच्छा काम करेंगे। इस भूमिका में वे शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। शायद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़कर इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए और देश चलाने की जिम्मेदारी किसी और को संभालनी चाहिए।''

एसआईआर : हरियाणा में 33.83 लाख, आंध्र में 44.89 लाख मतदाता घटे

ये कटौती मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, अनुपस्थिति तथा एक अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने के कारण है

नई दिल्ली, 31 जुलाई। हरियाणा और आंध्र प्रदेश में 15 जून से 24 जुलाई तक विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य चला। दोनों राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने शुक्रवार को मतदाता सत्यापन के प्रमुख आंकड़े साझा किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में 33.83 लाख और आंध्र प्रदेश में 44.89 लाख मतदाताओं (यानी 16.39 और 10.88 प्रतिशत) का नाम सूची से हटाया गया है। इन मामलों में मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण, अनुपस्थिति और एक से अधिक स्थानों पर नाम दर्ज होने जैसी स्थितियां हैं।

चुनाव आयोग की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कुल 1.727 करोड़ (83.61 प्रतिशत) मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त हुए। 24.13 लाख (11.68 प्रतिशत) मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित अथवा अन्य कारणों से सत्यापित नहीं हो सके। 7.66 लाख (3.71 प्रतिशत) मतदाताओं के निधन की जानकारी मिली, जबकि 2.04 लाख (0.99 प्रतिशत) मतदाता एक से अधिक स्थानों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए।

- **चुनाव आयोग ने कहा कि 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलने वाली दावे व आपत्तियों की अवधि के दौरान वास्तविक पात्र मतदाता फार्म-6 तथा निर्धारित घोषणा पत्र के आधार पर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।**

वहीं, आंध्र प्रदेश में 3.71 करोड़ (89.22 प्रतिशत) मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए। 15.22 लाख (3.66 प्रतिशत) मतदाताओं के निधन की पुष्टि हुई। 22.30 लाख (5.35 प्रतिशत) मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित अथवा अन्य श्रेणी में पाए गए। इसके अलावा 7.37 लाख (1.77 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मिले।

निर्वाचन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए, वे आवश्यक नहीं कि सूची से बाहर कर दिए जाएं। ऐसे मामलों में कारण यह हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति दूसरे राज्य में मतदाता बन चुका हो, निर्धारित अवधि तक प्रपत्र जमा न किया हो, संबंधित पते पर उपलब्ध न मिला हो या किसी अन्य कारण से पंजीकरण नहीं कराना चाहता हो।

आयोग ने बताया है कि 31 जुलाई से 30 अगस्त तक चलने वाली दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान, वास्तविक पात्र मतदाता फॉर्म-6 तथा निर्धारित घोषणा-पत्र के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकते हैं।

शहज़ाद पूनावाला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

साझा की, जिसमें वे यह कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हर व्यक्ति को, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, समान अवसर देती है।

वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, ''केवल भाजपा ही नरेन्द्र मोदी जी जैसे स्वयं के दम पर आगे बढ़े व्यक्ति को देश का नेतृत्व सौंप सकती है। बाकी दल केवल अपने बच्चों और वंशवाद को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए युवाओं के लिए भाजपा आज भी सबसे बेहतर विकल्प है।'' लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा छोड़ने का कोई उल्लेख नहीं किया। पिछले कुछ दिनों में पूनावाला की एक्स पोस्टों से यह संकेत मिल रहा था कि वे सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने पुराने साक्षात्कारों की कुछ वीडियो क्लिप बिना किसी कैप्शन के साझा की थीं, जिनमें वे राजनीति छोड़ने की बात करते दिखाई देते हैं।

ऐसी ही एक वीडियो में वे कहते हैं, ''समस्या यह है कि हम राजनीतिक लक्ष्य और चुनावी लक्ष्य को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों अलग-अलग हैं। यह सोचना एक गलती है कि समाज के लिए मैं तभी योगदान कर सकूँगा, जब मैं कोई चुनाव जीतूँ। यदि मैं सांसद नहीं बनता, तो क्या इसका यह मतलब है कि समाज और राजनीति में मेरा कोई योगदान नहीं है? क्या मुझे अपनी सारी ऊर्जा केवल पद पाने की दौड़ में लगा देनी चाहिए? मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह देश के लिए क्या योगदान दे सकता है। कुछ लोग जनप्रतिनिधि बनकर योगदान देते हैं, जबकि कुछ लोग चुनाव तन्त्र के बाहर रहकर भी अपना योगदान देते हैं, समाज की सेवा करते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वे राजनीति से अलग हो गए हैं।'' उनके सोशल मीडिया के अनुसार, यह वीडियो जनवरी 2025 का है।

वंदे भारत एक्सप्रेस से 'लाइव हार्ट' सुरक्षित पहुंचाया गया

नई दिल्ली, 31 जुलाई। भारतीय रेल ने पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के जरिए जीवित हृदय (लाइव हार्ट) को सूरत से अहमदाबाद सुरक्षित पहुंचा कर नया इतिहास बनाया है। इस हृदय का प्रत्यारोपण अहमदाबाद के यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में किया जाएगा। लाइव हार्ट को ट्रेन संख्या 20901, मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर कैपिटल वंदेभारत एक्सप्रेस से अहमदाबाद लाया गया।

पूरा अभियान समय के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि हृदय को तय समय के भीतर अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से अस्पताल तक हृदय को ले जाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और गुजरात पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया। इससे बिना किसी रुकावट के हृदय को सीधे अस्पताल पहुंचाया गया, ताकि प्रत्यारोपण में देरी न हो।

अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेदप्रकाश ने इस उपलब्धि को भारतीय रेलवे के लिए गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि ऐसे जीवनरक्षक अभियानों में प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण होता है।

- **सूरत से अहमदाबाद पहुंचे जीवित हृदय का प्रत्यारोपण, अहमदाबाद के यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में किया जायेगा।**

वेदप्रकाश ने कहा, इस अभियान की सफलता में भारतीय रेल के विभिन्न विभागों, रेलवे सुरक्षा बल, गुजरात राज्य पुलिस, चिकित्सकों, अंग प्रत्यारोपण समन्वयकों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। रेलवे ने कहा कि सभी एजेंसियों के बीच त्वरित और प्रभावी समन्वय के कारण यह चुनौतीपूर्ण मिशन सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका।

'चुनाव आयुक्त ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्णय पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो फिर ऐसा प्रावधान क्यों न हो कि वे अपने मंत्रिमंडल का चयन करते समय भी किसी पूर्व न्यायाधीश या बाहरी व्यक्ति से परामर्श लें?'' ये दलीलें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा की बैंच के समक्ष प्रस्तुत की गईं। पीठ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया।

भिवंडी में चार मंजिला बिल्डिंग गिरी, 10 की मौत

मुंबई, 31 जुलाई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी में चार मंजिला बिल्डिंग हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक ही परिवार के चार लोग शामिल हैं। इस घटना में चार घायलों का इलाज इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि इस घटना में मृतकों के प्रति सरकार संवेदनशील है। लेकिन घटनास्थल पर चोरी से मरम्मत का काम हो रहा था, जो कि बहुत ही अक्षम्य है। इस घटना की उच्चस्तरीय जांच करवाई जाएगी और दोषियों को कठोर सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना में मृतकों के आश्रितों को प्रत्येक 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी और घायलों को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908